बिहार सरकार

## बिहार सरकार

## वित्त (अंकेक्षण) विभाग

**अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 01/15–16**

**(1) परिचायात्मक :–**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम :– समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय खरीक भागलपुर

(ख) अंकेक्षण का लेखा अवधि :– वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक विशेष अंकेक्षण।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम :– समाज कल्याण (आई0सी0डी0एस0) विभाग बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री विपिन कुमार – | जिला पदाधिकारी – | 1.4.07 से 13.3.08 |
| (ii) | श्री संतोष कुमार मल – | " – | 17.3.08 से 1.08.09 |
| (iii) | श्री वंदना प्रेयसी – | " – | 1.08.09 से 8.10.09 |
| (iv) | श्री राहूल सिंह – | " – | 8.10.09 से 15.02.11 |
| (v) | श्री नर्मदेश्वर लाल – | " – | 15.2.11 से 31.3.12 |

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री मो0 इवरार आलम – | लेखा प्रभारी पदा0, वि0प्र0से0 – | 1.4.07 से 7.11.09 |
| (ii) | " दिनेश राम – | " " " – | 8.11.09 से 4.4.10 |

(iii) श्रीमति पूनम कुमारी I – ,, ,, वा0वि0प0पदा0 – 8.4.10 से 29.12.11

(iv) ,, पूनम कुमारी II ,, ,, ,, – 29.12.11 से 31.3.12

(i) श्री मनोज कुमार दास – लिपिक सह लेखापाल – 1.4.07 से 30.8.07

(ii) ,, चतुरी साह – ,, ,, – 30.8.07 से 31.7.10

(iii) ,, अवधेश कुमार सिंह – ,, ,, – 01.8.10 से 31.3.12

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :–

श्रीमति पूनम कुमारी, वा0 वि0 प0 पदा0

,, ,, सिन्धू सिप्रा, महिला पर्यवेक्षक

श्री श्याम नन्दन दास लिपिक सह लेखापाल

(छ) अंकेक्षकों के नाम :– श्री सुनील कुमार व0अं0–1

,, अजय कुमार व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 22.1.14 पुनः प्रारंभ 21.2.15

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 19.3.15

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – $52\frac{1}{3}$

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची – अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(2) <u>अंकेक्षण का क्षेत्र :–</u>

(i) अंकेक्षण का प्रकार – विशेष।

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि – वित्त (अंकेक्षण) विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 370 दिनांक–18.12.13 तथा 2916 / 2297 एफ0 ए0 दिनांक–4.7.1961 में निहित निदेशानुसार इस कार्यालय का अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया।

(3) **कार्यालय का कार्यक्षेत्र** – समेकित बाल विकास परियोजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत समेकित रूप से छः सेवॉए यथा पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भ सेवाएँ, टीकाकरण तथा पोषण स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के नामकीय बिन्दू ऑगनबाड़ी केन्द्र है जिसका संचालन ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा किया जाता है। ऑगनबाड़ी केन्द्र पर 3 वर्ष से 6 बर्ष के बच्चो को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग की कूपोषित एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देख–रेख हेतु संतुलित आहार एवं दवाओं का वितरण प्रत्येक माह में एक बार किया जाता है।

(4) **वित्तीय स्त्रोत** – सरकार द्वारा सभी मदों में प्राप्त आंवटन के आलोक में राशि की निकासी कर खर्च की जाती है। आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है। इस परियोजना को सरकार द्वारा वर्ष 03–04 में स्वीकृती प्राप्त हुई थी एवं वित्तीय वर्ष 2006–07 में दिनांक–20.3.07 से प्रारम्भ किया गया। तथा वर्ष 2007 के माह जून से सभी 103 केन्द्रो की स्वीकृति प्रदान की गई। पोषाहार वितरण का कार्य माह मई 2007 से प्रारम्भ कर दिया गया था।

5. कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – शत् प्रतिशत सत्यापन किया गया एवं सही पाया।

6. महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

अनुपालन प्रेषित नही किया गया है।

7. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – यह प्रथम अंकेक्षण था।

(3) <u>वित्तीय समीक्षा –</u>

(i) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है – नहीं।

(ii) अनुदान की स्थिति में – अनुदान नही दिया गया है।

(iii) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति – दि0 22.1.14 के सामान्य रोकड़ पुस्त के प्रारंम्भण शेष का भौतिक सत्यापन नही कराया गया। जो वित्त (अं0) विभागीय ज्ञापांक–503 दि0–29.1.76 के विपरित है। इस ओर आवश्यक कारवाई हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(iv) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति – 31.3.12 के अनुसार

(क) नगद – 2140.00

(ख) बैंक खाता में कुल राशि –

बिहार क्षेत्रीय बैंक खरीक का खाता सं0 36160200000009 में

दिनांक 31.3.12 को कुल – 5957003.50 संवरण शेष था, जिसमें सूद की राशि रू0 69025.00 संलग्न है। सूद की राशि छोड़कर बैंक खाता की कुल राशि – 5887978.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ग) | सूद की राशि | – | 69025.00 |
| (घ) | अग्रिम राशि (पोषाहार अग्रिम) | – | 8200207.50 |
| (ङ) | असमायोजित अभिश्रव (आपदा मद का अभिश्रव) | – | 57600.00 |
| (च) | अन्य | – | शून्य .00 |
| | **कुल योग** | – | **14216951.00** |

संवरण शेष की विस्तृत विवरणी संलग्न।

रोकड़ पुस्त के संवरण शेष 31.3.12 की विस्तृत विवरणी निम्न है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | पोषाहार | – | 10070896.00 |
| (2) | दूलार | – | 212655.00 |
| (3) | मानदेय | – | 3119588.00 |
| (4) | दूरभाष | – | 9000.00 |
| (5) | स्कूल पूर्व शिक्षा | – | 55500.00 |
| (6) | सेविका सहायिका पोषाक | – | 119274.00 |
| (7) | पोषाक | – | 90000.00 |
| (8) | कन्या सूरक्षा | – | 1500.00 |
| (9) | केन्द्र किराया | – | 127200.00 |
| (10) | आपदा | – | 76800.00 |
| (11) | आकस्मिकता | – | 21625.00 |
| (12) | गाड़ी मद | – | 29900.00 |
| (13) | फ्लेक्सी वोर्ड | – | 103000.00 |
| (14) | केन्द्र आकस्मिकता | – | 61800.00 |
| (15) | महिला पर्यवेक्षिका यात्रा भत्ता | – | 44000.00 |
| (16) | डाटा ऑपरेटर | – | 5188.00 |
| (17) | सूद | – | 69025.00 |
| | **कुल योग** | – | **14216951.00** |

सामान्य रोकड़ पंजी दिनांक–31.3.12 को संवरण शेष के अवशेष का विवरण की जॉच में पाया गया कि असमायोजित अभिश्रव (आपदा का अभिश्रव) के रूप में रू0 57600.00 दर्शाया गया था। जब कि इसके सत्यापन में उपलब्ध कराये गये अभिश्रवों के जॉच में पाया गया कि दर्शित अभिश्रव पदाधिकारी द्वारा पारित नही था और न ही अंकेक्षण समापन तिथि तक पारित कर समायोजित किया गया था। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान पारित नहीं होने तथा समायोजन/वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। कारवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

अंकेक्षण अविध के वर्षान्त संवरण शेष का वर्षवार विवरण निम्नवत था।

दिनांक – 31.3.08 – 6313691.50

दिनांक – 31.3.09 – 6468862.50

दिनांक – 31.3.10 – 11308506.00

दिनांक – 31.3.11 – 14287871.00

जमा का पूर्ण विवरण रोकड़ पुस्त पर उपर्युक्त वर्षो का अंकित नहीं था।

**(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–**

| क्र0 | पदों का नाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बाल विकास परि0 पदा0 | 1 | 1 | – |
| 2. | सांख्यिकी सहायक | 1 | – | 1 |
| 3. | टंकक/सहायक | 1 | – | 1 |
| 4. | महिला पर्यवेक्षक | 4 | 4 | – |
| 5. | चपरासी | 1 | – | 1 |
| 6. | सेविका | 103 | 101 | 2 |
| 7. | सहायिका | 103 | 102 | 1 |

## भाग – 2

**कंडिका–5 रूपया 11595.00 के ईधन पर व्यय का दुर्विनियोग –**

(क) आकस्मिकता मद के अभिश्रवों के जॉच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 70 एवं 71 द्वारा क्रमशः रू0 2090+2090=4180/– का ईधन मद पर व्यय दिखाया गया है। सबंधित अभिश्रव में प्रयुक्त वाहन का नम्बर अंकित नही था और न ही इस कार्यालय में कोई सरकारी वाहन है। इस स्थिति में वाहन पर इंधन से सम्बन्धित अभिश्रवों द्वारा दिखाये गये व्यय का कोई औचित्य नहीं है।

पूर्ण विवरण निम्न है।

| अभिश्रव सं0 | फर्म का नाम | तिथि | राशि | रोकड़ पंजी में भुगतान तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 70 | संजय सर्विस स्टेशन नवगछिया | शून्य | 2090.00 | 31.3.11 |
| 71 | ,, | ,, | 2090.00 | ,, |
| | | | **4180.00** | |

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट होता है उक्त अभिश्रव पर इंधन की मात्रा भी अंकित नहीं था।

(ख) आकस्मिकता मद के अभिश्रवों के जॉच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 72 एवं 73 द्वारा गाड़ी सं0 B.R.U- 2727 के लिए क्रमशः 2480+2485=4965/– रूपया का भुगतान पटना उच्च न्यायालय जाने एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय आने का किया पाया गया। परन्तु अभिश्रव पर किस तिथि को जाना एवं आना हुआ अंकित नहीं पाया गया और न ही गाड़ी के स्वामी या चालक का हस्ताक्षर भी अंकित पाया गया। जिससे यह सत्यापित नही हो सका कि गाड़ी सं0 B.R.U- 2727 से यात्रा की गई थी या नही। विवरण निम्न प्रकार है।

| अभिश्रव सं0 | चालक का नाम | तिथि | भुगतान राशि | रोकड़ पंजी में भुगतान की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 72 | अमर यादव | शून्य | 2480.00 | 31.3.11 |
| 73 | ,, | ,, | 2485.00 | ,, |
| | | | **4965.00** | |

(ग) आकस्मिकता मद के अभिश्रवों के जॉच क्रम में पाया गया कि रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अभिश्रव सं0 78 द्वारा गाड़ी संख्या B.R.U- 2727 के चालक अमर यादव को दिनांक– 27.10.09 को 2450.00 का भुगतान किया पाया गया। अभिश्रव पर भुगतान से सबंधित कोई चालक/प्राप्तकर्ता/वाहन मालिक का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त भुगतान औचित्यहीन एवं कल्पित है। पूर्ण विवरण निम्न है।

| अभिश्रव सं0 | प्राप्तकर्ता का नाम | तिथि | राशि | रोकड़ पंजी में भुगतान तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 78 | अमर यादव<br>जीप चालक | 27.10.09 | 2450.00 | 31.3.11 |

उपरोक्त कुल रू0 11595.00 (4180+4965+2450) के सम्बन्ध में निर्गत आपति के अनुपालन के संबंध में कहा गया कि वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित व्यक्ति से पत्राचार किया गया है स्थिति स्पष्ट होने पर राशि वसूलकर सूचित किया जायगा। इस प्रकार उपरोक्त राशि का भुगतान अंकित कर दूर्विनियोग की पुष्टि होती है।

अतः इस संबंध में रू0 11595.00 रू0 दुर्विनियोग की राशि के संबंध में प्रशासी विभाग का ध्यान आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है। कृत कार्रवाई से वित्त (अं0) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

**कंडिका–6 रूपया 8802.50 का दूर्विनियोग :–**

(क) स्थापना सहायक रोकड़ पंजी को योग एवं संतुलन के जॉच में पाया गया कि दिनांक–29.12.07 के व्यय पक्ष के पृष्ठ न0 25 पर व्यय राशि का वास्तविक कुल योग 264000.00 के स्थान पर 2,64,500.00 दर्शाया पाया गया। तदनुरूप सामान्य रोकड़ पंजी में प्रविष्टी पायी गयी। जिसमें रू0 500.00 (पॉच सौ) का अधिक योग दिखाया पाया गया। तथा दिनांक–29.12.07 को संवरण शेष 3264912.50 होना चाहिये था के स्थान पर रू0 3264412.50 ही पाया गया, जिससे उक्त तिथि को संवरण शेष में रू0 500.00 कम पायी गयी। तदनुरूप उक्त व्यय राशि रू0 264500.00 की प्रविष्टि सामान्य रोकड पुस्त में भी अंकित पायी गयी।

**(ख)** सहायक रोकड़ पुस्त (स्थापना) का सामान्य रोकड़ पुस्त से सत्यापन के क्रम में पाया गया कि दिनांक–14.10.10 को सहायक रोकड़ पंजी के पृष्ठ सं0–11 से 41 पर व्यय पक्ष का वास्तविक कुल योग रू0 13,50,000.00 के स्थान पर रू0 1353000.00 का कुल व्यय दर्ज किया पाया गया। इस प्रकार सामान्य रोकड़ पुस्त में रू0 3000.00 (1353000–1350000) का अधिक व्यय दिखाया गया था। जिससे दिनांक 14.10.10 को सामान्य रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष का संवरण शेष रू0 3000.00 कम हो गया। जो निम्न है –

| | | |
|---|---|---|
| वास्तविक शेष | – | 10510571.00 |
| संवरण शेष | – | 10507571.00 |
| अन्तर | – | 3000.00 |

**(ग)** पोषाहार सहायक रोकड़ पंजी में वर्ष 09–10 में दिनांक–17.2.10 के पृष्ठ सं0 33 पर योग एवं संतुलन की जॉच क्रम में पाया गया कि व्यय पक्ष का वास्तविक योग 405111.00 होना चाहिये के स्थान पर रू0 410413.50 का योग दर्ज किया पाया गया। जिससे दिनांक 17.2.10 को कुल योग में (410413.50–405111) रू0 5302.50 पै0 अधिक योग दर्ज दिखाया पाया गया। इस प्रकार संवरण शेष की राशि कम हो गई। सहायक रोकड़ पंजी में संवरण शेष राशि रू0 4146629.50 था। जबकि इसका वास्तविक संवरण शेष रू0 4151932.00 होगा। तदनुसार सामान्य रोकड़ पुस्त में भी प्रविष्टि की गई थी।

उपर्युक्त उप कंडिका "क" ख" "ग" की कुल राशि रू0 8802.50 (500+3000+5302.50) रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अधिक अंकित किये जाने के फलस्वरूप सामान्य रोकड़ पुस्त का वास्तविक संवरण शेष में रू0 8802.50 की कमी हो गयी। सामान्य रोकड़ पुस्त दिनांक–31.3.09, 31.3.10 एवं 31.3.11 के संवरण शेष के विरूद्ध जमा का विवरण अंकित नहीं था। परन्तु 31.3.12 के जमा के विवरण एवं दिनांक 29.12.11 को बाल विकास परियोजना पदा0 के प्रभार लेन–देन में भी अंकित संवरण शेष से जमा के रूप में अधिक राशि अंकित नहीं पायी गयी। स्पष्ट है कि संवरण शेष की कमी के अनुसार ही जमा राशि अंकित कर रू0 8802.50 का दुर्विनियोग किया गया प्रतीत होता है।

उक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि वरीय पदा0 द्वारा जॉचोपरान्त दूर्विनियोग के विरूद्ध उत्तरदायी व्यक्ति पर आवश्यक कारवाई कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

**कंडिका–7 सूद स्वरूप कुल रू0 68680.00 को कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव :–**

सहायक रोकड़ पुस्त एवं बैंक स्टेटमेंट से सत्यापन किये जाने पर पाया गया कि बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खरीक के खाता में दिनांक 31.3.12 तक कुल सूद की राशि 69025.00 लम्बी अवधि से पड़ी पायी गयी।

नियमतः बैंक से प्राप्त सूद की राशि को कोषागार के सबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जाना था। परन्तु यह राशि अबतक जमा नहीं किया पाया गया।

सूद की राशि को कोषागार में जमा करने के लिए निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि सूद की राशि रू0 69025.00 में से बैंक द्वारा कमीशन के रूप में रू0 345.00 कटौती करने के उपरान्त 68680.00 शेष है, जिसे कोषागार में जमा कर सूचित किया जायगा।

अतः अविलम्ब सूद की शेष राशि रू0 68680.00 यथाशीध्र कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

## भाग – 3 सुझावात्मक

**कंडिका सं0–8 रू0 13,18,882.00 लम्बित पोषाहार अग्रिम का समायोजन हेतु लम्बित।**

रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.3.12 को असमायोजित पोषाहार अग्रिम के रूप में कुल रू0 8200207.00 लम्बित था। जिसके समायोजन हेतु आपत्ति निर्गत करने पर अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनांक–25.3.13 तक रू0 6881325.00 का समायोजन कर लिया गया था। अंकेक्षण समापन तिथि तक शेष राशि रू0 8200207–6881325=1318882/– असमायोजित पोषाहार अग्रिम के रूप में लम्बित है। चूँकि दिनांक–17.2.10 से 29.12.11 तक का पोषाहार अग्रिम पंजी के माँग हेतु आपत्तिनिर्गत करने के बाद भी अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः अंकेक्षण दल इस तथ्य से अवगत नहीं हो सका कि असमायोजित पोषाहार अग्रिम की राशि किस ऑगनबाड़ी केन्द्र का कौन सा माह का लम्बित है।

उक्त स्थिति में उपर्युक्त लम्बित पोषाहार अग्रिम की विवरणी तैयार नही की जा सकी।

उक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि रूपया 13,18882.00 की पूर्ण विवरणी पंजी के आधार पर तैयार एवं उक्त अग्रिम का समायोजन कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय। तत्काल इस अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित माना जाता है।

## भाग – 3 सुझावात्मक

**09. अंकेक्षण के दृष्टान्त पर वसूली गई कुल राशि 2400.00**

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्र कोड सं0 25 वास्तविक में सरकारी भवन में संचालित था। इस पर भुगतान किया गया राशि अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में रू0 2400.00 वसूल कर ली गई थी। जिसे कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव दिया जाता है।

10. अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य – (क) बिहार कोषागार संहिता भाग – 1 के नियम 86 के अनुसार संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नहीं पाया गया भविष्य में इसका अनुपालन किया जाय।

पोषाहार रोकड़ पुस्त के संधारण में केन्द्र कोड के साथ क्रमांक संख्या का उपयोग जिस माह में राशि की निकासी हुई है उसी माह में 1 (एक) से लेकर अंतिम क्रमांक पर बन्द कर दें। अगला माह में पूनः पोषाहार निकासी राशि में क्रमांक 1 (एक) से एवं माह अंकित किया जाय।

प्रायः ऑगनबाड़ी केन्द्रो के अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि सेविका द्वारा पोषाहार वितरण एवं बच्चो के शिक्षण या उसके स्वास्थ्य एवं विकास के लिए केन्द्रो के संचालन के निरीक्षण में महिला पर्यपेक्षकों का योगदान एवं ध्यान पूरी तरह नहीं दिया जाता है। अतः केन्द्रो का पर्यवेक्षण कार्य प्रत्येक माह में सुचारू रूप से किया जाय।

(ख) आवंटन व्यय विवरणी में विभिन्न मदों में बचत की अंकित राशि का समर्पण पत्रांक दिनांक आवंटन पंजी में अंकित नहीं पाया गया। और न ही समर्पण पत्र संचिका से सत्यापन कराया गया जो बजट लेखा नियमावली के प्रतिकूल है। भविष्य में इस पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षर</u>

1. अशोक कुमार राकेश, व0अं0–

## परिशिष्ट – 'क'

## प्रस्तुत अभिलेखो की सूची :–

| | | | वर्ष |
|---|---|---|---|
| (1) | विपत्र पंजी | – | 1.4.07 से 31.3.12 |
| (2) | सामान्य रोकड़ पंजी | – | ,, ,, |
| (3) | सहायक रोकड़ पंजी | – | ,, ,, |
| (4) | मानदेय सहायक रोकड़ पंजी | – | ,, ,, |
| (5) | सेविका एवं सहायिका भुगतान पंजी | – | ,, ,, |
| (6) | दुलार सहायक रोकड़ पंजी | – | ,, ,, |
| (7) | ,, भुगतान पंजी | – | ,, ,, |
| (8) | स्थायी अग्रिम रोकड़ पंजी | – | ,, ,, |
| (9) | केन्द्रीय दवा वितरण भंडार पंजी | – | ,, ,, |
| (10) | मकान किराया भुगतान अभिश्रव पंजी | – | ,, ,, |
| (11) | केन्द्रो का भंडार पंजी | – | ,, ,, |
| (12) | केन्द्रो का क्रय पंजी | – | ,, ,, |
| (13) | केन्द्रो का बैंक पासबुक | – | ,, ,, |
| (14) | केन्द्रो का वितरण पंजी | – | ,, ,, |
| (15) | केन्द्रो का बैंठक पंजी | – | ,, ,, |
| (16) | चेक पंजी | – | ,, ,, |

(17) पोषाहार अग्रिम रोकड़ पंजी – 1.4.07 से 17.2.10 तक

**<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची।</u>**

(1) अभिश्रव सहायक रोकड़ पंजी – 07–08 से 11–12

(2) पोषाहार अग्रिम पंजी – 18.2.10 से 29.12.11

## परिशिष्ट – ख

## आवंटन व्यय विवरणी बर्ष – 2007–08

## बाल विकास परियोजना कार्यालय खटीक, भागलपुर।

| क्र0 | मद का नाम | प्राप्त आंवटन | व्यय | बचत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वेतन | – | – | – | सर्मपन का पत्रांक दिनांक अंकित नहीं पाया गया। |
| 2. | कार्यालय व्यय | 30,000.00 | 30,000.00 | – | |
| 3. | पोषाहार | 58,57,301.00 | 58,57,301.00 | – | |
| 4. | मानदेय | 1854000.00 | 1357542.00 | 496458.00 | |
| 5. | केन्द्र किराया | 123600.00 | 1,23,600.00 | – | |
| 6. | केन्द्र आकस्मिकता | 61800.00 | 61800.00 | – | |
| 7. | दूलार रणनीति | 59745.00 | 59745.00 | – | |
| 8. | स्कूल पूर्व शिक्षा | 51500.00 | 51500.00 | – | |

## परिशिष्ट – 'ख'

## आवंटन–व्यय विवरणी वर्ष – 2008–09

## बाल विकास परियोजना कार्यालय खरीद भागलपुर

| क्र0 | मद का नाम | प्राप्त आवंटन | व्यय | बचत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वेतन | – | – | – | समर्पण का पत्रांक दिनांक अंकित नहीं पाया गया। |
| 2. | कार्यालय व्यय | 30,000.00 | 30,000.00 | – | |
| 3. | मानदेय | 1781820.00 | 16,74,000.00 | 1,07820.00 | |
| 4. | केन्द्र आकस्मिकता | 57000.00 | 57000.00 | – | |
| 5. | केन्द्र किराया | 2,49600.00 | 249600.00 | – | |
| 6. | वाहन एवं ईंधन | 90000.00 | 90000.00 | – | |
| 7. | दूलार रणनीति | 2,48755.00 | 248755.00 | – | |
| 8. | स्कूल पूर्व शिक्षा | 51500.00 | 51500.00 | – | |
| 9. | दूरभाष | 9000.00 | 9000.00 | – | |
| 10. | पोषाहार केन्द्रांश | 3640394.00 | 3640394.00 | – | |
| 11. | पोषाहार राज्यांश | 3640394.00 | 3640394.00 | – | |

## परिशिष्ट – 'ख'

## आवंटन व्यय विवरणी वर्ष – 2009–10

## बाल विकास परियोजना कर्यालय – खरीक भागलपुर।

| क्र0 | मद का नाम | प्राप्त आंवटन | व्यय | बचत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वेतन | – | – | – | समपर्ण का पत्रांक दिनांक अंकित नहीं पाया गया। |
| 2. | कार्यालय व्यय | 36974.00 | 35974.00 | 1000.00 | |
| 3. | मानदेय | 3576599.00 | 3567945.00 | 8654.00 | |
| 4. | केन्द्र किराया | 298493.00 | 295900.00 | 2593.00 | |
| 5. | केन्द्र आकस्मिकता | 60599.00 | 60599.00 | – | |
| 6. | ईधन | 84993.00 | 76916.00 | 8077.00 | |
| 7. | दुलार रणनीती | 252790.00 | 252790.00 | – | |
| 8. | पोषाहार केन्द्रांश | 6861345.00 | 3861345.00 | – | |
| 9. | पोषाहार राज्यांश | 5561897.00 | 5561897.00 | – | |

## परिशिष्ट – 'ख'

### आवंटन व्यय विवरणी वर्ष – 2010–11

### बाल विकास परियोजना कर्यालय – खरीक भागलपुर।

| क्र0 | मद का नाम | प्राप्त आंवटन | व्यय | बचत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वेतन | 231450 | 174028 | 57422 | समर्पण का पत्रांक दिनांक अंकित नही पाया गया। |
| 2. | केन्द्र किराया | 188800 | 188800 | – | |
| 3. | वर्दी | 87560 | 87560 | – | |
| 4. | केन्द्र आकस्मिकता | 61800 | 61800 | – | |
| 5. | वाहन इंधन | 103500 | 76916 | 26584 | ,, |
| 6. | कार्यालय आकस्मिकता | 40,000 | 40,000 | – | |
| | पोषाहार | 2260850<br>6650850<br>494400 | | | |
| 7. | पोषाहार | 9406100 | 9406100 | – | |
| 8. | मानदेय | 2781000 | 2704500 | 76500 | ,, |

## परिशिष्ट – 'ख'

## आवंटन व्यय विवरणी वर्ष – 2010–11

## बाल विकास परियोजना कार्यालय – खरीक भागलपुर।

| क्र0 | मद का नाम | प्राप्त आंवटन | व्यय | बचत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पोषाहार | 1,2705977 | 12157849 | 548128 | समर्पण का पत्रांक दि0 अंकित नहीं पाया गया। |
| 2. | मानदेय | 4851860 | 4842978 | 8882 | |
| 3. | कार्यालय व्यय | 40000 | 40000 | – | |
| 4. | वेतन | 1009921 | 549678 | 460243 | ,, |
| 5. | वर्दी | 87560 | 87550 | 10 | |
| 6. | केन्द्र आकस्मिकता | 61800 | 61800 | – | |
| 7. | फलेक्सी मद | 103000 | 103000 | – | |
| 8. | केन्द्र किराया | 188800 | 188800 | – | |
| 9. | दुलार | 61425 | 61425 | – | |
| 10. | वाहन ईधन रख रखाव | 103500 | 29900 | 73600 | ,, |
| 11. | महिला पर्यवेक्षिका मानदेय एवं भत्ता | 351000 | 332000 | 19000 | ,, |